कोरोनियल जाँच - क़ानूनी-जाँच के दौरान क्या अपेक्षा करें

क्वींसलैण्ड कोरोनर्स कोर्ट (सीसीक्यू) रिपोर्ट करने योग्य मृत्यु के मामलों की स्वतंत्र रूप से जाँच करता है।

हम आपको हुई क्षति के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।

इस तथ्य-पत्र का उद्देश्य क़ानूनी जाँच के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करना है। अगर आपको अन्य जानकारियाँ चाहिए, तो कृपया नीचे दी गई वेबसाइट देखें: https://www.coronerscourt.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/749412/Coronial-investigation-guide-for-families-and-friends.pdf

क़ानूनी-जाँच क्या होती है?

क़ानूनी-जाँच, कोरोनर द्वारा मृत्यु या परस्पर संबंधित कई मृत्यओं के कारण और परिस्थितियों के बारे में **जानकारी एकत्रित करने का तरीका** है।

क़ानूनी-जाँचें मुकदमा नहीं होती हैं: उनमें जूरी शामिल नहीं होती है और उनका ध्यान दोष या दायित्व के प्रश्नों पर केन्द्रित नहीं होता है।

कोरोनर्स द्वारा इन क़ानूनी-जाँचों का उपयोग सच्चाई का पता लगाने और इस तरह की सिफारिशें करने के लिए किया जाता है जिनसे भविष्य में ऐसी मृत्युओं को टाला जा सके।

क़ानूनी-जाँच में क्या होता है?

हर क़ानूनी जाँच की जटिलता अलग प्रकार की होती है, लेकिन सामान्य तौर पर कोरोनर उन लोगों की गवाही को सुनते हैं जिनके पास मृत व्यक्ति की मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में जानकारी हो सकती है। गवाही देने वाले व्यक्ति पुलिस अधिकारी, परिवार के सदस्य, प्रोफेशनल विशेषज्ञ, जैसे कि डॉक्टर्स और वैज्ञानिक, प्रत्यक्षदर्शी तथा जन-साधारण हो सकते हैं। कोर्ट रूम में कौन-कौन उपस्थित रहेगा इसके उदाहरण के लिए, अंतिम पृष्ठ देखें:

सारी गवाहियों को सुनने के बाद, जाँच कर रहे कोरोनर द्वारा अपने निष्कर्ष तैयार करने के लिए क़ानूनी-जाँच को रोक दिया जाता है। क़ानूनी-जाँच को रोकने की अवधि अलग-अलग होती है, लेकिन जटिल मामलों में यह अवधि कई महीनों की हो सकती है।

क्या क़ानूनी-जाँचे एक सामान्य बात है?

ज़्यादातर कोरोनियल जाँचों में क़ानूनी-जाँच की ज़रूरत नहीं होती। अधिकाँश मामलों में, कोरोनर बिना क़ानूनी-जाँच आयोजित किए ही निष्कर्ष पर पहुँचने में सक्षम होते हैं। क़ानूनी-जाँचों का आयोजन अवश्य किया जाना चाहिए यदि:

- मृतक हिरासत में था;
- मृतक किसी पुलिस कार्यवाही में शामिल था (जब तक कि कोरोनर को यह विश्वास न हो कि क़ानूनी-जाँच की आवश्यकता नहीं है); या
- मृतक देखभाल (केयर) में था और उस देखभाल से संबंधित कुछ समस्याओं की पहचान हुई है।

इसके अलावा, कोरोनर्स अगर यह मानते हों कि सुनवाई होना जनहित में है तो वे क़ानूनी-जाँच आयोजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई कोरोनर सिस्टम की जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली कमियों का परीक्षण करने के लिए, या जब मृत्यु के कारण और परिस्थितियों के बारे में गहन संदेह हो तो, क़ानूनी-जाँच आयोजित करने का निर्णय ले सकता है। एटोर्नी-जनरल भी यह निर्देश दे सकते हैं कि क़ानूनी-जाँच का आयोजन किया जाए।

क्या कोई भी व्यक्ति यह मांग कर सकता है कि क़ानूनी-जाँच आयोजित की जाए ?

हाँ। आप कोरोनर को एक पत्र लिखकर अनुरोध कर सकते हैं जिसमें इस बात का वर्णन हो कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि क़ानूनी-जाँच का आयोजन करना जनहित में है। सामान्यतया कोरोनर आपके अनुरोध के छः महीनों के अंदर निर्णय ले लेता है (और निर्णय के कारण बताता है)। निर्णय के लिए समय बढ़ाने हेतु कोरोनर आपसे संपर्क कर सकता है।

अगर कोरोनर क़ानूनी-जाँच के किसी अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, तो क़ानूनी जाँच का आदेश देने के लिए स्टेट कोरोनर से आवेदन किया जा सकता है। अगर स्टेट कोरोनर क़ानूनी-जाँच आयोजित करने का आदेश देने इंकार कर देता है, तो क़ानूनी-जाँच का आयोजन करवाने के लिए जिला न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है।

मुझे ये कैसे पता चलेगा कि क़ानूनी-जाँच का आयोजन किया जाएगा?

अगर क़ानूनी-जाँच का आयोजन किया जाने वाला है तो मृतक के परिवार के नामांकित सदस्य को इस बारे में बता दिया जाएगा। क़ानूनी-जाँच की कार्यवाहियों की सूची सीसीक्यू की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है: https://www.coronerscourt.qld.gov.au/findings-upcoming-inquests/inquest-proceedings-list

क़ानूनी-जाँच में कौन-कौन लोग उपस्थित हो सकते हैं?

चूँकि क़ानूनी-जाँचें जनहित के विषय मानी जाती हैं, इसलिए सामान्यतया आम लोग उनमें जा सकते हैं। बहुत ही कम मामलों में, कोरोनर कुछ विशिष्ट लोगों को पूरी सुनवाई या सुनवाई के कुछ हिस्सों से बाहर रखने का निर्णय ले सकता है। कोरोनर्स सुनी गई गवाहियों या किसी भी गवाह अथवा मृतक के नाम के प्रकाशन को निषिद्ध कर सकते हैं।

मृतक के परिवार के सदस्य या मित्रगण क़ानूनी-जाँच में उपस्थित रह सकते हैं। लेकिन, यह याद रखना महत्वपूर्ण है, कि क़ानूनी-जाँच का उद्देश्य तथ्यों को सिद्ध करना होता है, और यह विचलित कर देने वाला हो सकता है। इस कठिन समय में आपके लिए काउंसलिंग तथा सहायता सेवाएँ उपलब्ध हैं। सहायता सेवाओं की एक सूची इस तथ्य-पत्र के आख़िर में दी गई है।

क़ानूनी-जाँच में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों को सुनना, ऑडियो को सुनना या वीडियो फाइलों को देखना शामिल हो सकता है। क़ानूनी-जाँच में जटिल क़ानूनी बहस तथा गवाहियों पर विस्तृत विचार-विमर्श भी शामिल हो सकते हैं।

हाँलाकि कोरोनर्स हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि क़ानूनी कार्यवाहियाँ आदरपूर्ण हो, लेकिन इस बात को टाला नहीं जा सकता कि क़ानूनी-जाँचों में आहत करने वाली जानकारी पर इस तरह से चर्चा शामिल हो सकती है जिसे परिवार वाले भाव-रहित या "मुँहफट" मान सकते हैं ।

क्या परिवार के क़ानूनी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है?

पर्याप्त रूचि वाला कोई भी व्यक्ति (परिवार के सदस्यों सहित) क़ानूनी-जाँच में भाग लेने के लिए कोरोनर को आवेदन कर सकता है। अगर आपको क़ानूनी-जाँच में भाग लेने की अनुमति दे दी जाती है, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं और सब्मिशन्स जमा करवा सकते हैं। व्यक्ति अपने लिए ख़ुद कार्य कर सकते हैं या उनका क़ानूनी रूप से प्रतिनिधित्व किया जा सकता है।

कोरोनर की सहायता करने वाला अधिवक्ता एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि सारी प्रासंगिक जानकारी कोरोनर के समक्ष प्रस्तुत की गई है। सहायता करने वाला अधिवक्ता परिवार के लिए कार्य नहीं करता है, लेकिन वे क़ानूनी-जाँच की प्रक्रिया और उसमें जिन मुद्दों पर सोच-विचार होना है उनके बारे में संक्षिप्त विवरण प्रदान कर सकते हैं। अगर परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है और वे ख़ुद अपना प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहते हैं, तो सहायता करने वाला अधिवक्ता परिवार की ओर से प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकता है।

क़ानूनी सहायता

अगर आप क़ानूनी सलाह प्राप्त करना चाहते हैं तो निम्नांकित सेवाओं से संपर्क किया जा सकता है, या आप क़ानूनी सेवाएँ प्रदान करने वाली अपनी पसंद की किसी कंपनी से संपर्क करने का निर्णय ले सकते हैं:

लीगल एड **क्वींसलैण्ड**

क़ानूनी सलाह के बारे में जानकारी तथा रेफरल के लिए, और इस बारे में सलाह के लिए कि क्या आप निःशुल्क क़ानूनी सहायता के लिए पात्र हैं।

फ़ोन 1300 65 11 88

वेबसाइट: www.legalaid.qld.gov.au

क्वींसलैन्ड लॉ सोसायटी

आपके क्षेत्र में क़ानूनी सेवाएँ प्रदान करने वाली उन कंपनियों के नामों के लिए जो क़ानूनी-जाँचों और कोरोनियल क़ानून की विशेषज्ञ हैं।

फ़ोन 1300 367 757

वेबसाइट: www.qls.com.au

क्वींसलैण्ड कोरोनियल लीगल सर्विस

शोका संतप्त परिवार के सदस्यों को कोरोनियल प्रक्रिया के किसी भी पहलू तथा संबंधित मुद्दों के बारे में निःशुल्क क़ानूनी सलाह प्रदान करती है।

फ़ोन (07) 3214 6333
वेबसाइट: https://caxton.org.au/how-we-can-help/queensland-coronial-legal-service/

कम्युनिटी लीगल सेन्टर्स क्वींसलैण्ड

अपने निकटतम कम्युनिटी लीगल सेन्टर का पता लगाएँ।

फ़ोन (07) 3392 0092
वेबसाइट: www.communitylegalqld.org.au/

दी एबोरीजनल एंड टोरस स्ट्रेट आइलैण्डर लीगल सर्विस

क्वींसलैण्ड में एबोरीजनल तथा टोरस स्ट्रेट आईलैण्डर लोगों को साँस्कृतिक रूप से संवेदनशील क़ानूनी सेवाएँ।

फ़ोन 1800 012 255 (निःशुल्क कॉल)
ईमेल: coronial@atsils.org.au।
वेबसाइट: https://atsils.org.au/

क्या मुझे गवाह बनने की ज़रूरत होगी?

हो सकता है कि मृत्यु के बारे में आपसे एक वक्तव्य लेना पुलिस के लिए आवश्यक हो।

आपका वक्तव्य पढ़ने के बाद कोरोनर यह निर्णय ले सकता है कि आपको आगे और गवाही देने के लिए क़ानूनी-जाँच में उपस्थित होने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको गवाही देने की आवश्यकता होगी तो आपको पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। आपको अगर इस बारे में कोई संशय हो कि आपको क्या करना है तो आप कोरोनर के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आप क़ानूनी सलाह भी लेना चाह सकते हैं।

क़ानूनी-जाँच में कितना समय लगता है?

क़ानूनी-जाँच की अवधि मामले की जटिलता, गवाहों की सँख्या, और उपस्थित होने के लिए कितने लोगों को अवकाश की अनुमति मिली है इसके आधार पर अलग-अलग होगी। कितना समय चाहिए इसका अनुमान क़ानूनी-जाँच से पहले की बैठक में लिया जाता है।

क़ानूनी-जाँच से पहले की बैठक क्या होती है?

क़ानूनी-जाँच से पहले की बैठक, सामन्यतया कोरोनर द्वारा क़ानूनी-जाँच आयोजित करने का निर्णय लिए जाने के बाद होती है। क़ानूनी-जाँच से पहले की बैठक में, सहायता करने वाला अधिवक्ता, सामान्यतया मृत्य की संक्षिप्त समीक्षा प्रदान करता है और उन मुद्दों की रूपरेखा बताता है जिन पर क़ानूनी-जाँच के दौरान सोच-विचार का प्रस्ताव रखा गया है साथ ही वह उन प्रस्तावित गवाहों के बारे में भी बताता है जिन्हें क़ानूनी-जाँच के दौरान बुलाया जाएगा। सहायता करने वाला अधिवक्ता यह प्रस्ताव भी रखता है कि क़ानूनी-जाँच कब और कहाँ होगी। सहायता करने वाले अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों के जवाब में व्यक्ति (परिवार सहित) सब्मिशन्स जमा करवा सकते हैं। क़ानूनी-जाँच में किन मुद्दों पर सोच-विचार किया जाएगा, और कौन-कौन से गवाह गवाही देंगे यह निर्णय कोरोनर लेगा। कोरोनर यह भी तय करेगा कि क़ानूनी-जाँच में सुनवाई कब और कहाँ होगी।

कोरोनर के निष्कर्ष

कोरोनर को लिखित निष्कर्ष में यह बताना आवश्यक है मृतक की पहचान क्या थी; उनकी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे हुई; और उनकी मृत्यु किस कारण से हुई। यह निर्णय कोरोनर लेगा कि निष्कर्ष को 'खुले' कोर्ट में पेश किया जाए या 'चेम्बर्स' में।

कोरोनर के निष्कर्षों (और जहाँ प्रासंगिक हो, सिफारिशों) का किसी अन्य न्यायालय या अधिकरण में सबूत के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन, कोरोनर मामले पर सोच-विचार और संभावित कार्यवाही के लिए मामले को लोक अभियोजन निदेशक या किसी अनुशासनात्मक निकाय के पास रेफर कर सकता है।

निष्कर्षों को परिवार के नामांकित सदस्य को सौंप दिया जाएगा और निष्कर्षों को सीसीक्यू की वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य है:

https://www.coronerscourt.qld.gov.au/findings-upcoming-inquests/search-findings

अगर निष्कर्ष में सिफारिशें की गई हैं, तो निष्कर्ष को संबंधित सरकारी विभाग या एजेंसी के पास भी भेजा जाएगा।

साँस्कृतिक संवेदनशीलताएँ

हम साँस्कृतिक रूप से संवेदनशील और उचित कार्यों को बढ़ावा देने और करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। परिवारों से अनुरोध किया जाता है कि साँस्कृतिक या स्वजनों से संबंधित सोच-विचार वाली कोई बात हो तो उसे जाँच के शुरुआती दिनों में ही बता दें, ताकि परिवार वालों की ज़रूरतों पर विचार करना सुनिश्चित किया जा सके।

हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि परिवार वालों को जानकारी इस तरीके से प्रदान की जाए जो साँस्कृतिक रूप से उचित और आदरपूर्ण हो।

अनुवादित जानकारी

कोरोनियल प्रक्रिया तक पहुँचने और समझने में साँस्कृतिक रूप से विविध पृष्ठभूमियों वाले लोगों की सहायता के लिए हम दुभाषिया सेवाओं की व्यवस्था कर सकते हैं।

आप अनुवाद तथा दुभाषिया सेवा (टीआईएस 131450) को भी फ़ोन कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि वे 1300 304 605 पर एक दुभाषिये को हमारे साथ जोड़ दें।

अधिक जानकारी

प्रैक्टिस निर्देश, अदालतों में न्यायिक अधिकारी द्वारा जारी, प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश होते हैं।

परिवार के वक्तव्यों के बारे में **प्रैक्टिस निर्देश** इस वेबसाइट पर मिल सकते हैं: https://www.coronerscourt.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/797740/2024.02-family-statements.pdf

क़ानूनी-जाँच से पहले होने वाली बैठकों की प्रक्रियाओं की तथा क़ानूनी-जाँच की प्रक्रियाओं की जानकारी यहाँ मिल सकती है:

https://www.coronerscourt.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0012/797736/2024.01-procedures-for-pre-inquest-conferences-and-inquests.pdf

संपर्क तथा सहायता सेवाएँ

क्वींसलैण्ड कोरोनर्स कोर्ट

GPO Box 1649 Brisbane QLD 4001
फ़ोन (07) 3738 7050 *(ब्रिसबन में मुख्य रजिस्ट्री)*
ब्रिसबन से बाहर: 1300 304 605 (लोकल कॉल लागत)
ईमेल: CoronersCourt@justice.qld.gov.au
वेबसाइट: www.coronerscourt.qld.gov.au

क्वींलैण्ड पुलिस कोरोनियल सपोर्ट युनिट (सीएसयू)

हमारी अधिकाँश रजिस्ट्रियों में सह-स्थित, सीएसयू कोरोनियल प्रक्रियाओं को कोर्डिनेट करती है और फोरेंसिक पैथोलोजिस्ट्स तथा मोर्चरी कर्मचारियों के साथ संपर्क स्थापित करती है।

फ़ोन (07) 3292 5901
ईमेल: QPSOfficeStateCoroner@police.qld.gov.au

फोरेंसिक पेथोलोजी एंड कोरोनियल सर्विसेज़

फ़ोन 1800 000 377 (निःशुल्क कॉल)
ईमेल: Forensics@health.qld.gov.au

कोरोनियल फैमिली सर्विसेज़

फ़ोन (07) 3096 2794
1800 449 171 (निःशुल्क कॉल)
ईमेल: FSS.Counsellors@health.qld.gov.au

रजिस्ट्री आफ बर्थ्स डेथ्स एंड मैरिजेस

PO Box 15188 City East QLD 4002
फ़ोन 13 74 68
ईमेल: bdm-mail@justice.qld.gov.au
वेबसाइट: www.qld.gov.au/rbdm

विक्टिम असिस्ट क्वींसलैण्ड

अपराध के पीड़ितों को जानकारी, सलाह सहायता सेवाएँ और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

फ़ोन 1300 546 587
वेबसाइट: https://www.qld.gov.au/law/crime-and-police/victim-assist-queensland

स्वास्थ्य लोकपाल कार्यालय

क्वींसलैण्ड की स्वास्थ्य सेवाओं और/या प्रदाताओं के बारे में शिकायतें/आशंकाएँ लेने वाली एजेंसी

फ़ोन 133 646
वेबसाइट: www.qld.gov.au/rbdm

कार्य-संबंधित मृत्युओं और गंभीर घटनाओं के विषय में सलाहकार समिति

चोटग्रस्त कर्मचारियों और कार्य-स्थल पर हुई मृत्यु से प्रभावित हुए परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करती है।

फ़ोन 0417 910 130
ईमेल: OHSConsultativeCommittee@oir.qld.gov.au
वेबसाइट: www.worksafe.qld.gov.au/about-us/consultative-committee

क्वींसलैण्ड होमिसाइड विक्टिम सपोर्ट ग्रुप

मानव हत्या से प्रभावित लोगों के लिए 24 घंटे / 7 दिन सहायता, पक्ष-समर्थन (एडवोकसी), तथा जानकारी प्रदान करता है।

फ़ोन 1800 774 744
वेबसाइट: www.qhvsg.org.au/

कम्पेशनेट फ्रैंड्स क्वींसलैण्ड

बच्चे की मृत्यु के बाद परिवार वालों को मित्रता और दु:ख से संबंधित शिक्षण पेश करता है।

फ़ोन 1300 064 068
ईमेल: admin@tcfqld.org.au
वेबसाइट: https://tcfa.org.au/qld/

सर्वाइवर्स आफ सुसाइड बीरीवमेंट सपोर्ट एसोसिएशन (एसओएसबीएसए)

आत्महत्या के कारण शोक संतप्त हुए लोगों को और आत्महत्या करने के जोखिम वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान करती है।

फ़ोन 1300 659 467
वेबसाइट: www.sosbsa.org.au

स्टैंडबाय - सपोर्ट आफ्टर सुसाइड

आत्महत्या के कारण शोक संतप्त या प्रभावित हुए लोगों को सहायता प्रदान करता है।

फ़ोन 1300 727 247
बधिर और सुनने में कठिनाई वाले लोगों के लिए: 0428 842 041 पर एसएमएस करें (सवेरे 6-रात 10बजे तक 7 दिन)
वेबसाइट: www.standbysupport.com.au

सुसाइड कॉल बैक सर्विस

आत्महत्या के कारण प्रभावित हुए लोगों को 24 घंटे / 7 दिन फ़ोन पर तथा ऑनलाइन काउंसलिंग प्रदान करती है।

फ़ोन 1300 659 467
वेबसाइट: www.suicidecallbackservice.org.au/

रोज़ेज़ इन दी ओशियन

समान अनुभव साथी वार्मलाइन - एक कॉल बैक सेवा प्रदान करती है जहाँ आप एक ऐसे प्रशिक्षित स्वयँ-सेवक से बात कर सकते हैं जो ख़ुद भी आत्महत्या के कारण शोक संतप्त हुआ था।

फ़ोन: कॉलबैक सेवा 1800 77 7337
वेबसाइट: https://rosesintheocean.com.au/

लाइफलाइन ऑस्ट्रेलिया

24 घंटे / 7 दिन फ़ोन पर नि:शुल्क संकट सहायता प्रदान करती है।

फ़ोन 13 11 14
वेबसाइट: www.lifeline.org.au/

किड्स हेल्पलाइन

5 से 25 वर्ष के युवा लोगों के लिए 24 घंटे / 7 दिन ऑनलाइन और फ़ोन पर निःशुल्क और गोपनीय काउंसलिंग प्रदान करती है।

फ़ोन 1800 55 1800
वेबसाइट: www.kidshelpline.com.au/

मेन्सलाइन

ऑस्ट्रेलियाई पुरुषों के लिए टेलिफ़ोन पर और ऑनलाइन निःशुल्क काउंसलिंग और सहायता प्रदान करती है।

फ़ोन 1300 78 99 78
वेबसाइट: www.mensline.org.au/

प्रथम राष्ट्रों के परिवारों के लिए सहायता सेवाएँ

13 YARN

उन लोगों के लिए 24 घंटे / 7 दिन साँस्कृतिक रूप से उचित सहायता लाइन प्रदान करती है जिन्हें व्याकुलता महसूस हो रही है या सहन करने में परेशानी हो रही है।

फ़ोन 13 92 76
वेबसाइट: www.13yarn.org.au/

एबोरीजनल एंड टोरस स्ट्रेट आइलैण्डर फैमिली वेलबीइंग सर्विसेज़

एबोरीजनल और टोरस स्ट्रेट आइलैण्डर परिवारों के लिए सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक, और आध्यात्मिक सकुशलता की निःशुल्क और गोपनीय सहायता प्रदान करती है, और परिवारों को अपने बच्चों की सुरक्षित रूप से देखभाल और रक्षा करने में सहायता करती है।

फ़ोन 1300 117 095
वेबसाइट: www.familywellbeingqld.org.au/

Thirrili (थिर्रिलि)

Thirrili (थिर्रिलि) इंडीजनस पश्चातवर्ती प्रतिक्रिया सेवा, आत्महत्या के बाद सदमे से गुज़र रहे समुदायों, परिवारों, और व्यक्तियों की सहायता करती है। उनकी साँस्कृतिक रुप से सुरक्षित सहायता प्रणाली स्थानीय साँस्कृतिक शिष्टाचार और प्रथाओं का सम्मान करती है, वियोग और सकुशलता की स्थिति में लौटने में आत्म-निर्णय को बढ़ावा देती है। Thirrili (थिर्रिलि) आत्महत्या सहायता फ़ोन लाइन का सप्ताह के दिन घंटे संचालन करती है।

फ़ोन 1800 805 801
वेबसाइट: https://thirrili.com.au/

Mob Link (मॉब लिंक)

प्रवेश इनटेक अधिकारियों, नर्सेज़, डॉक्टर्स, इंडीजनस आउटरीच कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक दमदार टीम द्वारा संचालित किया जाने वाला Mob Link (मॉब लिंक) दक्षिणपूर्व क्वींसलैण्ड में एबोरीजनल और टोरस स्ट्रेट आइलैण्डर लोगों को स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं से जुड़ने के लिए उसी-दिन देखभाल या सहायता पाने में सहायता करता है।

फ़ोन 1800 254 354 सवेरे 7 बजे से रात 8 बजे तक, 365 दिन वेबसाइट: https://www.iuih.org.au/our-services/mob-link/

अदालत में

कोरोनर की खण्डपीठ

कोरोनियल कोर्ट सहायता अधिकारी:
वे अदालत का संचालन करते हैं, क़ानूनी जाँच का लेखा-जोखा रखते हैं, और गवाहों को शपथ/स्वीकरण दिलाते हैं

गवाह:
उन्हें क़ानूनी-जाँच में गवाही देने के लिए बुलाया जाता है

सहायता करने वाला अधिवक्ता:
वह वक़ील जो क़ानूनी-जाँच में कोरोनर की सहायता करता है

वक़ील:
वे अधिवक्ता जो रुचि रखने वाले अन्य पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं

परिवार तथा मित्रगण:
मृतक के प्रियजन

मीडिया और सामान्यजन:
अधिकाँश क़ानूनी-जाँचें सामान्यजन के लिए खुली होती हैं - मीडिया और सामान्यजन उपस्थित रह सकते हैं